

Notice Inviting Tender (Published on 26/09/2024)



म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ, मर्यादित

ए-ब्लॉक, प्रथम तल, वन भवन, तुलसी नगर

भोपाल-462003, दूरभाष : (0755) 2674202, 2674349

2675258, Website : www.mfpfederation.org

E-mail : md.mfpfed@mp.gov.in, mppmfrit@gmail.com

क्र/वनो./संघ/ एम.एस.पी./2024/11676 भोपाल, दिनांक : 25.09.2024

महुआ फूल विक्रय की ई-नीलामी सूचना

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिला वनोपज सहकारी यूनियनों (वन मंडल) खंडवा, नरसिंहपुर, हरदा, पूर्व मंडला, धार, छतरपुर, दक्षिण सागर, उत्तर सागर, टीकमगढ़ में वर्ष 2022 में क्रय किए गए महुआ फूल एवं जबलपुर, उमरिया, उत्तर बालाघाट में पुराना वनोपज (स्कंध) 'जहां है-जैसा है' के स्टॉक के विक्रय हेतु ई-पोर्टल <https://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से ई-नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

इच्छुक क्रेतागण/बोलीदाता ई-नीलामी पोर्टल <https://www.mptenders.gov.in> पर निर्धारित समय अवधि में नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

ई-पोर्टल पर निविदा दिनांक 26.09.2024 सायं 5.00 बजे से उपलब्ध रहेगी।

ई-नीलामी की विस्तृत जानकारी म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ की वेबसाइट www.mfpfederation.org पर भी उपलब्ध रहेगी।

म.प्र. माध्यम/116575/2024

प्रबंध संचालक

**एमएसपी योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिला यूनियनों
(वन मंडल) में क्रय किए गए महुआ फूल-2022 के विक्रय
एवं स्कंध वनोपज (पुराना) हेतु ई-नीलामी आमंत्रण**

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिला यूनियनों (वन मंडल) खंडवा, नरसिंहपुर, हरदा, पूर्व मंडला, धार, छतरपुर, दक्षिण सागर, उत्तर सागर, टीकमगढ़ में वर्ष 2022 में क्रय किए महुआ फूल “जहाँ है-जैसा है” के विक्रय एवं जिला यूनियन जबलपुर, उमरिया एवं उत्तर बालाघाट अंतर्गत स्कंध (पुराना) वनोपज हेतु परिशिष्ट:1 के अनुसार स्टॉक की बिक्री हेतु ई-नीलामी प्लेटफॉर्म <http://mptenders.gov.in> के माध्यम से ई-नीलामी की जाएगी।

विस्तृत विवरण <http://mptenders.gov.in> एवं <http://mfpfederation.org> पर उपलब्ध रहेगा।

ई-नीलामी दस्तावेजों से संबंधित कोई भी परिवर्तन/संशोधन उपरोक्त वेबसाइटों पर ही पोस्ट किया जाएगा।

परिवर्तन/संशोधन पृथक से अखबार में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

सभी इच्छुक क्रेताओं को सूचित किया जाता है कि स्टॉक की बिक्री के लिए <http://mptenders.gov.in> प्लेटफॉर्म पर ई-नीलामी में भाग लें।



**मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित
ए-ब्लाक, प्रथम तल, वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल-462003**

दूरभाष: (0755) 2674202, 2674349, 2675258

Website: www.mfpfederation.com, Email: md.mfpfed@mp.gov.in,
mpmfpit@gmail.com

निविदा की समय सारणी

1	निविदा का प्रकाशन	दिनांक 26/09/2024 को समय सायं 5 बजे से http://mptenders.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।
2	निविदा शुल्क (ऑनलाइन)	निविदाकार को राशि रु. 200/- दो सौ रुपए का भुगतान आनलाइन पोर्टल http://mptenders.gov.in पर ई-पेमेंट द्वारा करना होगा।
3	ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया शुल्क	म.प्र. शासन के आनलाइन पोर्टल http://mptenders.gov.in की शर्तों के अनुसार पोर्टल पर दर्शित प्रोसेसिंग फीस को निविदाकार को ई-पेमेंट द्वारा जमा करना होगा।
4	सत्यंकार (ईएमडी) राशि (ऑनलाइन)	निविदाकार को राशि रु. 1,000/- एक हजार रुपए का भुगतान आनलाइन पोर्टल http://mptenders.gov.in पर ई-पेमेंट द्वारा करना होगा।
5	ई-नीलामी बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	दिनांक 10/10/2024 को समय अपरान्ह 3.00 बजे तक
6	तकनीकी एवं वित्तीय निविदाओं का खोला जाना	दिनांक 11/10/2024 को समय अपरान्ह 4.00 बजे से (प्रथम चरण में आइटमवार एच-1 दरों का निर्धारण)
7	प्रथम चरण में प्राप्त एच-1 दरों पर नीलामी (ऑक्शन)	दिनांक 14/10/2024 को समय पूर्वान्ह 11.00 बजे से दिनांक 15/10/2024 को अपरान्ह 5.00 बजे तक
8	निविदा खोले जाने का स्थान	कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित, ए-ब्लाक, प्रथम तल, वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) योजना अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिला यूनियनों (वन मंडल) खंडवा, नरसिंहपुर, हरदा, पूर्व मंडला, धार, छतरपुर, दक्षिण सागर, उत्तर सागर, एवं टीकमगढ़ में वर्ष 2022 में क्रय किए गए महुआ फूल “जहाँ है-जैसा है” के विक्रय एवं जिला यूनियन जबलपुर, उमरिया एवं उत्तर बालाघाट अंतर्गत स्कंध (पुराना) वनोपज हेतु परिशिष्ट:1 के अनुसार स्टॉक की बिक्री हेतु ई-नीलामी प्लेटफॉर्म <http://mptenders.gov.in> के माध्यम से ई-नीलामी आयोजित की जाएगी ।

सभी इच्छुक क्रेताओं को सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी/बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पहले माल के निरीक्षण के लिए संबंधित स्थानों / गोदामों / कोल्ड स्टोरेज पर जाकर “स्टॉक की गुणवत्ता, मात्रा और माल” की स्थिति को देख लें ।

महुआ फूल की बिक्री के लिए नियम एवं शर्तें

1. आइटम, गुणवत्ता और मात्रा:

- 1.1 महुआ फूल (जिसे आगे "माल" कहा गया है) के स्टॉक को "जैसा है जहाँ है" के आधार पर गोदाम / कोल्ड स्टोरेज के विवरण के अनुसार परिशिष्ट:1 में उल्लेखित किया गया है।
- 1.2 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल में संबंधित व्यक्ति को सूचित कर इच्छुक क्रेता पक्ष बोली प्रक्रिया से पहले माल के निरीक्षण के लिए संबंधित स्थानों / गोदामों / कोल्ड स्टोरेज पर जाकर “गुणवत्ता, मात्रा और माल” की स्थिति को देख सकते हैं ।
- 1.3 बोलीदाता गोदाम/भंडारण के निरीक्षण उपरांत ही बोली में भाग लें । बोली लगाने के बाद माल की गुणवत्ता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा ।
2. बोली मूल्य प्रति किलो ग्राम "जैसा है, जहाँ है" के आधार पर ही मान्य होगा ।
3. जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल द्वारा बिक्री की कार्यवाही पूर्ण होने पर सफल बोलीदाता को डाक एवं ई-मेल के माध्यम से स्वीकृति आदेश भेजा जाएगा ।
4. प्रथम चरण में प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत उच्चतम मूल्य (H1) के आधार पर किया जाएगा।
5. बोली मूल्य रुपये/किग्रा में होगा । मूल्य उद्धरण "सकल भार के आधार पर" होगा। उच्चतम मूल्य के अतिरिक्त 5% जीएसटी, 1% एबीएस और 2.5% आयकर लागू होगा । अन्य कर यदि कोई लागू हो तो खरीदार से अतिरिक्त रूप से देय होगा ।

6. वैधता:

ई-नीलामी सत्र के अंतिम समापन पर सभी बोलीदाताओं की बोलियाँ नीलामी सत्र के पूरा होने के बाद 14 (चौदह) कार्य दिवसों की अवधि के लिए वैध होगी ।

7. नीलामी प्रक्रिया:

- 7.1 बोलीदाता जो महुआ फूल खरीदना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर नीलामी प्रक्रिया सेवा प्रदाता <http://mptenders.gov.in> पर पंजीकृत होना चाहिए।
- 7.2 बोलीदाता के जी.एस.टी. पंजीयन की प्रति स्केन कर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।
- 7.3 ई-नीलामी के लिए निर्धारित सभी नियम व शर्तों को पूरा करने के बाद ही नीलामी प्रक्रिया में भाग लें।
- 7.4 यदि खरीदार/बोलीदाता बोली में भाग लेने से पहले गुणवत्ता को सत्यापित करने का इच्छुक है तो बोलीदाता गोदामों/ भंडारण केन्द्रों के बारे में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए संलग्नक **परिशिष्ट -1** में उल्लेखित संबंधित प्रबंधक/प्रभारी, जिला लघु वनोपज यूनियन से संपर्क कर माल का नमूना और भण्डारण का निरीक्षण कर सकते हैं।
- 7.5 जिला लघु वनोपज यूनियन/वनमंडल द्वारा सफल बोलीदाता के नाम पर डिलीवरी/बिक्री आदेश जारी किये जायेंगे।

8. निविदा शुल्क:

- 8.1 बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए निविदा शुल्क के रूप में राशि 200/-दो सौ रुपए का भुगतान म.प्र. शासन के आनलाइन पोर्टल <http://mptenders.gov.in> पर ई-पेमेंट द्वारा जमा करना होगा।
- 8.2 निविदा शुल्क गैर-वापिसी एवं गैर-हस्तांतरणीय है।
- 8.3 भुगतान की गई शुल्क की रसीद/पावती को स्केन कर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।

9. सत्यंकार राशि (ईएमडी)

- 9.1 बोलीदाता को सत्यंकार राशि (ईएमडी जमा) के रूप में राशि 1,000/- एक हजार रुपए जमा करनी होगी।
- 9.2 बोलीदाता को सत्यंकार राशि म.प्र. शासन के आनलाइन पोर्टल <http://mptenders.gov.in> पर ई-पेमेंट द्वारा जमा करना होगा।
- 9.3 सत्यंकार राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 9.4 एक बार नीलामी शुरू होने के बाद ईएमडी जमा के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 9.4 निविदा के निराकरण उपरांत बोलीदाता को सत्यंकार राशि (ईएमडी) आनलाइन वापिस कर दी जायेगी।
- 9.5 भुगतान की गई ईएमडी की रसीद/पावती को स्केन कर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।

10. निविदा प्रक्रिया शुल्क:

म.प्र. शासन के आनलाइन पोर्टल <http://mptenders.gov.in> की शर्तों के अनुसार पोर्टल पर दर्शित प्रोसेसिंग फीस एवं लागू टैक्स को निविदाकार को ई-पेमेंट द्वारा जमा करना होगा।

11. बिक्री मूल्य जमा करना

- 11.1 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल द्वारा उच्चतम दर (एच-1) बोलीदाता को स्वीकृति आदेश वित्तीय निविदा खुलने की दिनांक से 14 (चौदह) कार्य दिवसों के भीतर जारी किया जाएगा।
- 11.2 सफल बोलीदाता को जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल के स्वीकृति आदेश / पुष्टि आदेश जारी होने से 7 बैंक कार्य दिवसों के भीतर 100% बिक्री मूल्य जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल में जमा करना होगा।
- 11.3 यदि 7 कार्य दिवसों की निर्धारित समयावधि के भीतर 100% बिक्री मूल्य प्राप्त नहीं होता है, तो आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और लागू GST कटौती के साथ सत्यंकार राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी।
- 11.4 निर्धारित समयावधि 7 दिनों की अवधि से आगे कोई समय वृद्धि नहीं की जावेगी, जिस पर कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

12. ऑनलाइन बोली/ई-नीलामी का विवरण:

- 12.1 महुआ फूल स्टॉक की ई-नीलामी <http://mptenders.gov.in> प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।
- 12.2 बोलीदाताओं को ई-नीलामी के निर्धारित समय में <http://mptenders.gov.in> पोर्टल पर महुआ फूल क्रय करने हेतु रुपये प्रति किलोग्राम में बोली मूल्य उद्धृत करना होगा।
- 12.3 पोर्टल वित्तीय बोली खुलने के बाद ही नीलामी आयोजित करने की अनुमति देगा। ऑटो फाइनेंस ओपनिंग मॉडल के मामले में, पोर्टल वित्तीय बोली खोलने की प्रक्रिया को पूरा करेगा और L1/H1 दर दिखाई जाएगी।
- 12.4 प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम दर (एच-1) नीलामी आरंभ मूल्य के रूप में ली जाएगी।
- 12.5 बोलीदाता अपनी बोलियां ई-नीलामी के निर्धारित समय में <http://mptenders.gov.in> पोर्टल के नीलामी मंच पर उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन सिस्टम पर नीचे उल्लेखित नियमों और शर्तों के अनुसार रखेंगे:-
 - 12.5.1 आवंटन के लिए प्राथमिकता उस खरीदार को दी जाएगी जिसने उच्चतम मूल्य उद्धृत किया है।
 - 12.5.2 यदि दो या अधिक खरीदार एक ही कीमत पर बोली लगाते हैं, तो उस खरीदार को प्राथमिकता दी जाएगी जिसने समय और मात्रा के संदर्भ में अपनी बोली पहले पेश की है।
 - 12.5.3 प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बोली को ई-नीलामी के लिए H-1 बोली माना जाएगा।

- 12.5.4 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल द्वारा H-1 बोली/मूल्य की स्वीकृति के अधीन होगी।
- 12.5.5 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल द्वारा स्वीकृत बोली/मूल्य को स्वीकृति आदेश के रूप में संबंधित बोलीदाता को सूचित किया जाएगा।
- 12.5.6 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल एच-1 बोली को स्वीकार कर सकता है या नहीं यह पूरी तरह से जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल पर निर्भर करेगा।

13. आवंटन नियम:

- 13.1 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल द्वारा ऑक्शन/नीलामी में प्राप्त एच-1 मूल्य के अनुमोदन के बाद 100% बिक्री मूल्य जमा करने के लिए एच-1 दर पर बोलीदाता को स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।
- 13.2 निर्धारित अवधि के भीतर बिक्री मूल्य जमा न करने पर स्वीकृति आदेश रद्द कर दिया जाएगा और जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल द्वारा ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
- 13.3 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल द्वारा एच-1 बोलीदाता से 100% बिक्री मूल्य प्राप्त करने के बाद खरीदारों को ईएमडी राशि ऑनलाइन ही वापस कर दी जावेगी।
- 13.4 बोलीदाताओं को प्रस्तावित बोली के लिए भारतीय रुपए/किलोग्राम में बोली लगाना/उद्धरण देना आवश्यक है।
- 13.5 बोली में उपलब्ध उच्चतम वैध बोलियाँ, ई-नीलामी के लिए जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल द्वारा निर्णय के बाद एच-1 होंगी।
- 13.6 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल के पास एच-1 बोलीदाता को विजेता घोषित करने या एच-1 बोली को अस्वीकार करने का एकमात्र विवेकाधिकार है।
- 13.7 बोली मूल्य सत्र के दौरान, बोलीदाता अपनी बोली को मौजूदा उच्चतम बोली से केवल वृद्धिशील मूल्य तक संशोधित कर सकता है।
- 13.8 नीलामी सत्र के दौरान लगाई गई बोलियों को रद्द करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
14. ई-नीलामी के अंतिम परिणाम सभी बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी हैं और नीलामी सत्र के समापन और पुष्टि के बाद प्राप्त बोलियों को रद्द करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
15. गैर-अनुपालन के ऐसे किसी भी मामले में बोलीदाताओं को काली सूची में डाल दिया जाएगा और जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल द्वारा जारी किसी भी वस्तु की आगे की निविदाओं/ई-नीलामी में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।

16. बोलीदाता के उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लगाई गई कोई भी बोली उस बोलीदाता पर बिना शर्त बाध्यकारी मानी जाएगी जिसने <http://mptenders.gov.in> पोर्टल पर पंजीकरण किया है
17. ई-नीलामी के लिए बोलीदाता अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के माध्यम से की जाने वाली सभी गतिविधियों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। इसलिए उपयोगकर्ता को ई-नीलामी से पहले उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड की जांच करने की सलाह दी जाती है और इसे किसी और को न बताने की सलाह दी जाती है ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके।
18. नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को निष्पक्ष तरीके से बोली प्रस्तुत करनी चाहिए। बोलीदाताओं को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए या बोलियां प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए जो बोली प्रक्रिया के लिए हानिकारक हो और जिससे बाजार संतुलन में व्यवधान या गड़बड़ी होने की संभावना हो। बोली प्रक्रिया में कदाचार या हेरफेर करने की संभावना होने पर जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर पूरी बोली प्रक्रिया और अन्य प्रतिभागियों के सर्वोत्तम हित में, किसी भी ऐसे बोलीदाता को नोटिस दिए बिना या उसके बिना और/या कोई भी कारण बताए बिना, किसी भी बोलीदाता को बोली प्रक्रिया में भाग लेने से रोक सकता है/अयोग्य घोषित कर सकता है या प्रतिबंधित कर सकता है। इस संबंध में जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।
19. जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल उच्चतम बोली सहित किसी भी या सभी बोलियों को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने या बोली(ओं) का प्रतिकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें बिना कोई कारण बताए मात्रा बढ़ाने या घटाने का अधिकार भी शामिल है। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।
20. **इंटरनेट कनेक्टिविटी:**
 - 20.1 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल और <http://mptenders.gov.in> पोर्टल बिजली की विफलता, नेटवर्क सर्वर, बैंडविड्थ की समस्या, होस्टिंग सर्वर, इंटरनेट कनेक्टिविटी या अन्य किसी भी तरह की समस्या या पोर्टल तक पहुंचने में होने वाली धीमी गति के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
 - 20.2 यदि निर्धारित ई-नीलामी किसी भी तकनीकी कारणों सहित किसी भी कारण से पूरी नहीं हो पाती है, तो ई-नीलामी को जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल के विवेकानुसार पुनर्निर्धारित किया जाएगा।
21. **भुगतान और स्टॉक उठाना:**
 - 21.1 क्रेता (ओं) को स्वीकृति आदेश/पुष्टि आदेश जारी होने की तिथि से 7 बैंक कार्य दिवसों के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण भुगतान करना होगा। यदि क्रेता निर्धारित समय अवधि 7 बैंक

- कार्य दिवसों के भीतर पूर्ण बिक्री मूल्य राशि जमा करने में विफल रहता है, तो जमा की गई ईएमडी जब्त कर ली जाएगी और स्वीकृति आदेश रद्द कर दिया जाएगा।
- 21.2 सफल बोलीदाता को बिक्री आदेश की तारीख से 20 दिन की अवधि सामग्री उठाने के लिए मिलेगी।
- 21.3 स्वीकृति आदेश में निर्धारित बिक्री मूल्य को आरटीजीएस/एनईएफटी/ऑनलाइन मोड के माध्यम से जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल के पक्ष में जमा करना होगा। जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल के बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार है:-
1. खाताधारक का नाम:-----
 2. बैंक का नाम: -----
 3. बैंक खाता क्रमांक:-----
 4. बैंक शाखा का नाम:-----
 5. बैंक शाखा का आईएफएससी:-----
- 21.4. स्टॉक की डिलीवरी जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी/प्रतिनिधि की उपस्थिति में 100 प्रतिशत वजन के आधार पर तौल तराजू पर की जाएगी।
- 21.5 चूंकि बिक्री एक्स-वेयरहाउस और "जैसा है, जहां है" के आधार पर है इसलिए सभी खर्चे जैसे कि श्रम शुल्क, लोडिंग शुल्क, वजन शुल्क, बोरे/कंटेनर आदि क्रेता द्वारा ही वहन किए जाएंगे।
- 21.6 बिक्री की पुष्टि/डिलीवरी के बाद गुणवत्ता, वजन आदि के बारे में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मानी जाएगी क्योंकि बिक्री "जैसा है, जहां है" के आधार पर है। इच्छुक पक्ष निविदा/ई-नीलामी में भाग लेने से पहले स्टॉक का निरीक्षण कर सकते हैं।
- 21.7 5% जीएसटी, 1% एबीएस, 2.5% आयकर और अन्य सभी लागू शुल्क/कर अतिरिक्त होंगे।
- 21.8 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल माल उठाने के समय बिक्री चालान, कर चालान और परिवहन/पारगमन पास जारी करेगा।
- 21.9 यदि महुआ फूल के स्टॉक की उपलब्ध मात्रा बोली मात्रा से कम है, तो खरीदार को उपलब्ध मात्रा के अनुसार ही आवंटन किया जाएगा।
- 21.10 यदि जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल के पास कम स्टॉक उपलब्ध होने के कारण भुगतान की गई मात्रा से डिलीवरी कम होती है, तो जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल द्वारा क्रेता को अंतर की राशि वापस कर दी जाएगी, जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

22 . बिक्री आदेश जारी करना:

- 22.1 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल सफल खरीदार के पक्ष में बिक्री आदेश तभी जारी करेगा जब उसे बिक्री लेनदेन के मूल्य का 100% भुगतान प्राप्त हो जाएगा, जिसमें सभी कर, शुल्क आदि शामिल होंगे।
- 22.2 सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल के बैंक खाते में ही किया जावेगा। जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल, बैंक/बैंक सर्वर आदि की ओर से भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 22.3 यदि खरीदार ने 7 बैंक कार्य दिवसों के भीतर पूरी राशि का भुगतान किया है, लेकिन बिक्री की पुष्टि की तारीख से अधिकतम बीस (20) दिनों के भीतर सामग्री उठाने में विफल रहता है, तो खरीदार की ईएमडी राशि जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल द्वारा जब्त कर ली जाएगी और जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल लेनदेन शुल्क और लागू जीएसटी की कटौती के बाद जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल को हस्तांतरित कर दी जाएगी और नई ई-नीलामी आयोजित की जाएगी।

23. परिसमापन क्षति (LIQUIDATING DAMAGES):

- 23.1 यदि खरीदार अनुबंध में निर्धारित भुगतान और वितरण की शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल द्वारा प्राप्त सत्यंकार राशि (ईएमडी) बिना किसी सूचना के जब्त कर ली जायेगी।
- 23.2 ऐसी नीलामी के विरुद्ध <http://mptenders.gov.in> पोर्टल पर प्राप्त भुगतान को जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल को हस्तांतरित किया जाएगा।

24. अप्रत्याशित घटना (FORCE MAJEURE):

अप्रत्याशित घटना का अर्थ है कोई घटना या घटनाओं या परिस्थितियों का संयोजन जो इस समझौते के पक्षकारों के नियंत्रण से परे है,

- a) उचित परिश्रम के प्रयोग से, या
- b) उचित सावधानी और/या वैकल्पिक उपायों को अपनाने के बावजूद रोका नहीं जा सकता है, और जो इस समझौते के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए पक्षों की क्षमताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन इन तक सीमित नहीं होंगे:
 - (i) ईश्वरीय घटना यानी आग, सूखा, बाढ़, भूकंप, महामारी, प्राकृतिक आपदाएँ।
 - (ii) विस्फोट या दुर्घटनाएँ, हवाई दुर्घटनाएँ और जहाजों का डूबना, आतंकवादी कृत्य।
 - (iii) हड़ताल या तालाबंदी, औद्योगिक विवाद।
 - (iv) युद्ध और युद्ध की शत्रुता, दंगे, बंद, आतंकवादी कृत्य या नागरिक उपद्रव।
 - (v) किसी कानून, नियम या विनियमन का प्रवर्तन या संशोधन या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा कोई निषेधाज्ञा, न्यायालय आदेश या निर्देश जारी करना जो किसी पक्ष को इस अनुबंध

में सहमत किसी या सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन करने से रोकता या प्रतिबंधित करता है।

- (vi) पूर्वगामी के अनुरूप कोई घटना या परिस्थितियाँ।
- c) पक्षों के बीच यह सहमति है कि इस अनुबंध के तहत दायित्वों का निष्पादन अप्रत्याशित घटना की स्थिति के अधीन है, जिसका अर्थ होगा कि कोई भी घटना या घटनाओं या परिस्थितियों का संयोजन जो पक्षों के नियंत्रण से परे है।
- d) भुगतान दायित्वों को छोड़कर, कोई भी पक्ष निष्पादन में देरी या अपने उचित नियंत्रण से परे कारणों से गैर-निष्पादन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- e) अप्रत्याशित घटना के जारी रहने के दौरान, जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल इस ई-नीलामी के नियमों और शर्तों को बदलने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है या यदि परिस्थितियाँ ऐसा करने की मांग करती हैं, तो जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल नीलामी को ऐसी अवधि के लिए निलंबित भी कर सकता है।
- f) खरीदार पक्ष सहमत हैं और सहमति देते हैं कि उन्हें ऐसे निलंबन के लिए या उसके संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दावा, मुआवजा उठाने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- g) क्रेता सहमत है और समझता है कि यदि अप्रत्याशित घटना की स्थिति लंबे समय तक जारी रहती है, तो जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल अपने विवेक और निर्णय से इस सौदे को समाप्त कर सकता है और ऐसी स्थिति में क्रेता सहमत है कि उनके पास किसी भी प्रकार का कोई अधिकार या दावा नहीं होगा और जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल इस अनुबंध के तहत अपने सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त हो जाएगा।

25. लागू कानून क्षेत्राधिकार और विवाद समाधान:

- 25.1 अनुबंध / निविदा और इसके पक्षकारों के बीच कानूनी संबंध भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार निर्धारित और शासित होंगे और इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले / इससे संबंधित और / या इससे संबंधित सभी मामलों में केवल भोपाल के न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा और इस अनुबंध के पक्षकार ऐसी किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए अपरिवर्तनीय रूप से उन न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होंगे।
- 25.2 यदि पक्षों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से हल किया जाएगा।
- 25.3 यदि विवाद का हल नहीं होता है तो प्रकरण को प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित, भोपाल का निर्णय अंतिम माना जाएगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
- 25.4 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 का प्रावधान इस ई-नीलामी के विषय पर लागू नहीं होगा।

- 25.5 क्रेता और विक्रेता के बीच यह सहमति है कि क्रेता ने इस निविदा/अनुबंध की सभी शर्तों और नियमों को पढ़ लिया है और वह यह समझता है कि जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल अथवा मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित, भोपाल की ओर से कोई भी प्रक्रियात्मक देरी हो सकती है और क्रेता इसे स्वीकार करता है।

परिशिष्ट:-1महुआ फूल एवं स्कंध के उपलब्ध स्टॉक एवं संपर्क की जानकारी का विवरण

वन वृत्त का नाम	जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल का नाम	नीलामी की जाने वाली लघु वनोपज का नाम	गोदाम/भण्डारण के स्थान का नाम	लाट का नाम	बोरों की संख्या (नग में)	भंडारित मात्रा (क्विं में)	संपर्क हेतु नाम एवं नंबर
खंडवा	खंडवा	महुआ फूल	वन रक्षक नाका सेमलिया वन ग्राम	गोलखेड़ा-01	40	20.00	श्री बी एल मुवैल परिक्षेत्र अधिकारी, आंवलिया 88898-84991
		महुआ फूल	प्रशिक्षण केंद्र, ग्राम आंवलिया	आंवलिया-02	खुला	83.11	श्री गणेश काजले वनपाल, आंवलिया 9575602509
सिवनी	नरसिंहपुर	महुआ फूल	औषधि भंडारण गोटीटोरिया	सालेचौका: S-1	201	70.54	श्री विवेक तिवारी गोदाम प्रभारी, गाडरवाडा 99264-73181
				गोटीटोरिया: G-2	930	465.00	
				चीचली: C-3	165	67.22	
		औषधि भंडारण, मुंगवानी	गोरखपुर: G-3	604	32.99	श्री दशरथ भलावी गोदाम प्रभारी, मुंगवानी 76919-73630	
			मुंगवानी: M-4	324	108.69		
			मानेगांव: M-4	108	37.58		
			लाठगाँव: L-5	69	27.28		
			पहाड़ीखेड़ा: P-6	181	63.55		
बरहटा: B-7	249	95.33					
नर्मदापुरम	हरदा	महुआ फूल	अपनी दुकान, टेमागाँव	-	110	105.03	श्री मदन बोरसे-99776-28501
			अपनी दुकान, सिराली	-	80	71.50	श्री मंगेश वर्मा-99267-49137
			अपनी दुकान, नयापुरा	-	7	6.290	श्री सिद्धांत तिवारी-8109362078
जबलपुर	पूर्व मंडला	महुआ फूल	महुआ गोदाम, ककैया	कामता-01	-	9.60	श्रीमति लतिका तिवारी परिक्षेत्र अधिकारी, जगमंडल 94075-51691
			महुआ गोदाम, घुघरी	घुघरी- गोरखपुर-02	-	69.12	श्री अश्वनी सोनी परिक्षेत्र अधिकारी, घुघरी 88717-33533
			महुआ गोदाम, परसवाह	सलवाह-03	-	40.10	
			महुआ गोदाम, मोहगांव	मोहगांव-04	-	54.91	श्री राजेंद्र परस्ते परिक्षेत्र अधिकारी, मोहगांव 62649- 81364
			ईको सेंटर गोदाम, बिछिया	बिछिया-सिमरिया-05	-	42.80	श्री अविनाश जैन परिक्षेत्र अधिकारी, बिछिया 93027- 47368
			विश्व खाद्य गोदाम, मोतीनाला	मोतीनाला-06	-	11.30	श्री अभय पांडे परिक्षेत्र अधिकारी, मोतीनाला 73545- 14099
			वनोपज गोदाम, सूरजपुरा	दाढ़ीभानपुर-07	-	12.13	
			तेंदूपत्ता गोदाम, मवई	मवई-08	-	24.24	श्री प्रफुल्य त्रिपाठी परिक्षेत्र अधिकारी, मवई 94249-75007
इंदौर	धार	महुआ फूल	रेशम केंद्र, धार	DH-1	-	35.64	श्री वासुदेव वर्मा, वनपाल 88894-73893
		महुआ गुल्ली			-	7.37	
छतरपुर	छतरपुर	महुआ फूल	महुआ गोदाम, बिजावर	देवरा-01	145	54.80	श्री ए.के.तिवारी, 94247-91071
		महुआ फूल	परिक्षेत्र कैंपस, बक्सवाह	किशनपुरा-02	124	49.60	श्री एल.पी. सिंह, 94247-91083
		महुआ फूल	डिपो परिक्षेत्र, बड़ामलहरा	सडवा-03	62	25.00	श्री आर पी पस्तौर, 94247-91094

वन वृत्त का नाम	जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल का नाम	नीलामी की जाने वाली लघु वनोपज का नाम	गोदाम/भण्डारण के स्थान का नाम	लाट का नाम	बोरो की संख्या (नग में)	भंडारित मात्रा (क्वि में)	संपर्क हेतु नाम एवं नंबर
सागर	दक्षिण सागर	महुआ फूल	तिली गोदाम-1	-	81	40.71	श्री मनोज खरे, गोदाम प्रभारी 91654-99058
			तीतरपानी	-	153	68.00	
सागर	उत्तर सागर	महुआ फूल	बरोदिया कला (संदीप जैन के गोदाम में)	01	-	28.00	श्री बी.एन. सोलंकी परिक्षेत्र अधिकारी, मालथौन 99934-34504
		महुआ फूल	गोदाम सह कार्यालय, हीरापुर	02	-	11.85	कुमारी अंजु वर्मा परिक्षेत्र अधिकारी, शाहगढ़ 79999-65042
		महुआ फूल	शासकीय डिपो, बरोदिया नौनागिर	03	-	16.30	श्री चन्द्र भूषण सिंह परिक्षेत्र अधिकारी, खुरई 87700-61283
छतरपुर	टीकमगढ़	महुआ फूल	प्रसंस्करण केंद्र, पीरपानी, जतारा	मांची- 01	10	5.00	श्री ओम प्रकाश रैकवार, वनपाल 91793-18555
		महुआ फूल	समिति कार्यालय गोदाम, देरी	देरी-02	25	10.00	श्री काशीराम अहिरवार, प्रबंधक 97547-48475
		महुआ फूल	परिक्षेत्र कार्यालय, गोदाम बल्देवगढ़	बल्देवगढ़-03	27	10.00	श्री राजेश वगवार, प्रबंधक 93993-00788
		महुआ फूल	समिति कार्यालय गोदाम, कारी	पनियाराखेरा-04	22	10.00	श्रीमति पुष्पा देवी वंशकार, प्रबंधक 99818-96183
जबलपुर	जबलपुर	हरा	पुराना स्कंध	-	-	75.77	जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल
शहडोल	उमरिया	हरा	पुराना स्कंध	-	-	1130 . 35	जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल
		सालबीज	पुराना स्कंध	मानपुर	-	500.58	जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल
बालाघाट	उत्तर बालाघाट	महुआ फूल	पुराना स्कंध	-	-	313.15	जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन/वनमंडल